

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 26 फरवरी, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु दैवी आपदा राहत निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-622/आपदा-तेरह-परिसम्पत्ति मरम्मत/12-13, दिनांक-31 जनवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बहराइच में वर्ष 2012-13 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय राहत समिति की बैठक में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा कुल धनराशि रू० 12,68,12,100/- की मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों के रू० 50.00 लाख तक के मरम्मत आदि अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि रू० 6,34,06,050/- (रूपये छः करोड़ चौत्तीस लाख छः हजार पचास मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	विभाग विभाग का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	मांगी गयी धनराशि (रू० में)	अवमुक्त धनराशि (रू० में)
1	सरयू नहर खण्ड प्रथम बहराइच	07 ✓	2,34,40,000	1,17,20,000 ✓
2	बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा	04 ✓	70,01,000	35,00,500 ✓
3	उ०प्र० जल निगम बहराइच	73	20,32,300	10,16,150 ✓
4	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि० बहराइच	14	3,53,75,000	1,76,87,500 ✓

25

-1-

5	सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बहराइच	04	93,42,000	46,71,000
6	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बहराइच	17	3,81,30,000	1,90,65,000
7	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बहराइच	11	97,36,000	48,68,000
8	विद्युत वितरण खण्ड बहराइच	01	08,26,800	4,13,400
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच	01	9,29,000	4,64,500
	योग	132	12,68,12,100	6,34,06,050

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजार्स्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजार्स्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/ मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं० 2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

किया जाय।

भवदीय,
एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त।
२५

संख्या : 759(1) / 1-10-2013-12(32) / 2012, तददिनांक

भवदीय

एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त।

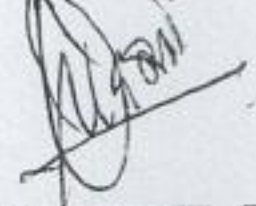
सचिव एवं राहत आयुक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 3-

- 3- प्रमुख अभियंता/सिंचाई/लो०नि०विभाग, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० उ०प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(विनोद कुमार शर्मा)
अनुसचिव।